भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2674

दिनांक 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

झींगा निर्यात पर अमेरिकी प्रशुल्क का प्रभाव

2674. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने झींगा निर्यात पर प्रभावी सीमा शुल्क का 17.7 प्रतिशत लगा दिया है

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र पर इन शुल्कों के प्रभाव और सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रशुल्क को कम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक वार्ता शुरू कर दी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत के झींगा निर्यात पर सीमा शुल्क के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका झींगा के लिए भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता को कम करने के लिए निर्यात बाजारों के विविधीकरण पर विचार किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख) भारत सरकार भारत के श्रिम्प और अन्य समुद्री उत्पाद के निर्यात पर निरतंर निगरानी रखती है और इसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि हेतु भारत द्वारा विश्व को किए गए झींगा के निर्यात के आंकड़े निम्नवत हैं:

विश्व को निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
अप्रैल-अक्टूबर 2024	**अप्रैल-अक्टूबर 2025**
2,640.32	3,102.24

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ग) से (ङ) सरकार एक व्यापक बहु-आयामी कार्यनीति के माध्यम से भारतीय निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्य कर रही है, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरीकी सरकार के साथ गहन सहभागिता आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ एफटीए करना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है।

उपरोक्त उल्लिखित कुछ उपायों का विवरण निम्नवत है:

1. निर्यात संवर्धन मिशन

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई विखंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलन तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती ज़रूरतों का तेज़ी से प्रत्युत्तर कर सकता है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से परिचालित होगा:

(i) निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि संबंधी सहायता जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

(ii) निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करती है जो बाजार की तत्परता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है, जिसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता, और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति तथा व्यापार आसूचना और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

यह मिशन भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और विखंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात गहनता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधा

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। इन क्रियाकलापों से निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, नौकरियों की सुरक्षित करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी दी गई है ताकि राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सके, ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए व उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की प्रत्याक्षा है। संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुँच से लिक्विडी मजबूत होगी, सुचारू

व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित होगा और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूती मिलेगी।

3. व्यापार राहत उपाय:-भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपाय भी शुरू किए हैं, जिसमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

4. मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना:- सरकार का लक्ष्य निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देना है और इसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के एफटीए के लाभों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में ईएफटीए देशों और यूके के साथ संपन्न एफटीए से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। सरकार यूरोपीय संघ, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ओमान आदि के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी एफटीए को शीघ्र संपन्न करने के लिए भी वार्ता कर रही है।

5. सरकार ने निरंतर प्रयासों के माध्यम से, हाल ही में यूरोपीय संघ और रूस को निर्यात के लिए सूचीबद्ध मत्स्य पालन संस्थानों की संख्या में वृद्धि की है।

मत्स्य पालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास के लिए कुल 21274.13 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे इस क्षेत्र में भारत का निर्यात वित्तीय वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 62,408 करोड़ रुपये हो गया है, जो दोगुने से भी ज्यादा है, जिसमें मूल्यवर्धित उत्पादों का हिस्सा 2% से बढ़कर 11% हो गया है।

सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के उभरते प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के साथ नियोजित है। यह उम्मीद की जाती है कि सामूहिक रूप से इन उपायों से भारत के समुद्री निर्यात में विविधीकरण और लचीलापन बढ़ेगा।

****